संख्या–सा–3–393 / दस – 2014–301(23)2014

प्रेषक

नील रतन कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2– महानिबन्धक,
मा. उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

3 समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक,
पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5– निदेशक,
कोषगार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर,2014

विषय : नई पेंशन योजना से निकासी।

महोदय,

नई पेंशन योजना को छोड़ने पर अभिदाता को किये जाने भुगतान आदि के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी.एफ.आर.डी.ए. के मास्टर सर्कुलर संख्या–PFRDA/2013/2PDEX/2 दिनांक 22 जनवरी, 2013 में राजकीय कर्मचारियों के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा 3–379 / दस 2005 / 301(9) / 2003 दिनांक 28 मार्च 2005 से आच्छादित राज्य सरकार राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की नयी पेंशन योजना से निकासी [EXIT] पर अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

1– यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है तथा त्रुटिवश उसके वेतन से नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौती हो गयी है, तो उसके अभिदाता अंशदान की राशि उस पर प्राप्त रिटर्न सहित उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया नियोक्ता अंशदान राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

2– **सेवाकाल में मृत्यु / विकलांगता –**

नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल मे मृत्यु अथवा विकालांगता की दशा में उनके परिवार / उन्हें शासनदेश संख्या–सा–3–1613 / दस–2011–301(9) / 2011 दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 की व्यवस्थानुसार सुविधायें अनुमन्य होंगी। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत पारिवारिक प्राप्त होने की अवस्था में नयी पेंशन योजना के अधीन जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा यदि किसी प्रकरण में इस धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतानित धनराशियों के मासिक वार्षिकीकृत मूल्य के बराबर धनरशि की वसूली शासनादेश दिनांक

05 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन / विकलांगता पेंशन आदि से की जायेगी। वार्षिकीकृत मूल्य का निर्धारण इस संबंध मे केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3— अधिवर्षता पर सेवानिवृत्तिः— अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की दशा मे कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा धनराशि के कम से कम 40 प्रतिशत धनराशि की एन्युइटी क्रय की जायेगी तथा शेष धनराशि का एक मुश्त भुगतान सेवानिवृत्त कार्मिक को किया जायोगा।

4— अधिवर्षता के पूर्व योजना से निकासी :— अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व यादि कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना छोड़ता है तो उसके खाते में जमा धनराशि के कम से कम 80 प्रतिशत धनराशि की एन्युइटी क्रय की जायेगी तथा शेष धनराशि का एकमुश्त भुगतान संबंधित कर्मचारी को किया जायेगी।

भवदीय

(नील रतने कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या— सा—3—393(1)दस— 2014—301(23)/2014 टी.सी.तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

3— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन , समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषधिकारी उत्तर प्रदेश ।

4— वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद।

5— वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद।

6— वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)

विशेष सचिव।